

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 32/2024

GCMS NO- 2024/32

छोटू राम पुत्र सुल्तान जाति गुर्जर निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी
बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।


अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक 25.11.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड, मोटर वाहन लाईसेन्स, आयकर विभाग का पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बंक की फोटों प्रति साक्ष्य में ग्राम मानोता कलां की जमाबंदी सं. 2074-77 के खातास सं. 98,131 के आधार पर तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक राजस्व/2024/1596 दिनांक 23.03.2024 की रिपोर्ट में स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मानोता कलां पटवार मण्डल मानोता कलां की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता सं. 4, 5, 99 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मानोता कलां	जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता सं. 4 किता 2 कुल रकबा 0.54 है. तथा खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 274 रकबा 0.56 है, तथा खाता संख्या 99 के खसरा नम्बर 79 रकबा 0.05 है.	औंकार पुत्र सुल्तान	छोटूराम पुत्र सुल्तान


(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
दिनांक :- 25.11.2025

क्रमांक :- राजस्व/2025/381
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. छोटू राम पुत्र सुल्तान जाति गुर्जर निवासी मानोता कलां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी

